

**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0बजट-26 / 2017- 1383 दिनांक : 31.10.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा / चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल रु0 216.884 लाख (दो करोड़ सोलह लाख अठासी हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-31 / 2017-21 / स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-31 / 2017- 58 / आ0 व0प0 दिनांक 09.08.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 216.884 लाख (दो करोड़ सोलह लाख अठासी हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	133.637
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	83.247
कुल :-		216.884

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 (क) से (ग) पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601796580103 तथा पी0 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/ करों, विनियम दरों/ अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

272

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-26 / 2017-1383 दिनांक- 31.10.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/जमशेदपुर वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/चाईबासा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-26 / 2017-1383 दिनांक- 31.10.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	100.00	31.496	22.801	54.297
2	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	90.00	28.347	20.521	48.868
योग :-		190.00	59.843	43.322	103.165

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	50.00	23.335	13.486	36.821
2	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	60.00	28.002	16.184	44.186
योग :-		110.00	51.337	29.670	81.007

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	vii	viii	ix
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	50.00	22.457	10.255	32.712
योग :-		50.00	22.457	10.255	32.712
सकल योग :-		350.00	133.637	83.247	216.884



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिकारी कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिकारी कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 229.90							
1	संवेदन एवं सीमांकन	हेक्टेक्टर	3	689.70	0.00	689.70	
2.1	सामान्य जाड़ी	हेक्टेक्टर	7	1609.30		1609.30	
2.2	कट्टेक / कॉपसिंग, वलाइम्बर कटिंग, स्टम्प इंसिंग आदि	हेक्टेक्टर	10	2299.00		2299.00	
3	धेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई इंसिंग सहित (जल संरक्षण विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हेक्टेक्टर	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी हैं तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 1000 पीट प्रति हेक्टेक्टर एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेक्टेक्टर	22	5057.80		5057.80	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेनेशन डेम/कंट्रूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेक्टेक्टर	45	10345.50		10345.50	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेक्टेक्टर	10	2299.00		2299.00	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा धेरान सामग्री आदि)	हेक्टेक्टर		0.00	1350.00	1350.00	
8	विधिक कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेक्टेक्टर		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हेक्टेक्टर	28.00	6437.20	9518.75	15955.95	
योग :-			137.00	31496.30	22801.49	54297.79	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
जारक्षण, रांची


वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

क्र०	प्रयोग कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	असियुनिट
1	2	3	4	6	5	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस - रु. 229.90/-							
1	संरक्षण एवं सीमांकन	हेक्टेक्टर	3.00	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य ज्ञाड़ी	हेक्टेक्टर	7.00	1609.30	0.00	1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संबंधित लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हेक्टेक्टर	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेक्टेक्टर (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेक्टेक्टर	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेक्टेक्टर	16.50	3793.35	0.00	3793.35	
6	सामग्री (पॉलिथीथ थीली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा धेरान सामग्री आदि)			0.00	0.00	2240.00	2240.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग- 120, कंटूर ट्रैच साईज 5 मीटर x 0.30 x 0.3 मीटर का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मीटर से 3मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मीटर गहरा कोडनी कर रखा जाना	हेक्टेक्टर	55.00	12644.50	0.00	12644.50	
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हेक्टेक्टर	25.00	5747.50	0.00	5747.50	
9	गली प्लारिंग	हेक्टेक्टर	10.00	2299.00	0.00	2299.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)			0.00	0.00	150.00	150.00
11	प्रवेश बिन्दु कार्य		38.00	8736.20	12800.40	21536.60	
योग :-			203.00	46669.70	26973.14	73642.84	


 अपर प्रभानन्द मुख्य वन संरक्षक, विकास,
जारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण


पौधों की संख्या प्रति हेठो : 2500 पौधे
पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य ज्ञानी	हेठो	7	1609.30		1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हेठो	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी हैं तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) ०.०२७ क्यू० मी० 2500 पीट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेठो	55	12644.50	0.00	12644.50	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग /सिल्ट रिटेनेशन डेम/ कंट्रूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेठो	10	2299.00		2299.00	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	25	5747.50		5747.50	
7	सामग्री (पॉलिथीन थेली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, निट्री पुष्पाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हेठो		0.00	3375.00	3375.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हेठो	57.00	13185.70	11181.45	24367.15	
योग :-			169.00	38934.50	26489.19	65423.69	

अपर प्रधान मुख्य वन अधिकारी, विकास,
जालखण्ड, राँची

वेत्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली “आधिसूचित वनमूलि पर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वर्णों पर वृक्षारोपण का अधिग्राम कार्य का स्थल विवरणी ।

क्र० सं	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना / थाना नं	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकवा (हेक्टेर में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	कुण्डहित	कुण्डहित-1	खाटोजोरी	735, 5, 207, 477, 735, 736, 779, 1047, 470, 168	25	
				कुण्डहित	पुरुषेतमबाटी	2		7
				कुण्डहित-34	कर्डिबाद	901P		10
				नाला	कास्ता-27	बोरोलिया	515P, 636P, 599, 600P	15
				नारायणपुर	नारायणपुर-19	पहाडपुर	154	15
				नारायणपुर	दक्षिणवहला-57	बगतरका	453, 589, 590, 284, 356, 355, 339	28
					योग:-		100	
2	पिश्चमी सिंहमूस	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	हाटगाहरिया प्रक्षेत्र	हाटगाहरिया	कोलहान-426	बिचाबुल पी०एक०	1670, 1671, 1672, 1683, 1853	50
				नोवामुण्डी प्रक्षेत्र	नोवामुण्डी	कोलहान-734	कातीकोडा पी०एक०	280, 276
					योग:-			90
					सकल योग:-			190


अपर प्रधान पुल्ये वन चरक्षक सिकास
जारखण्ड, राँची ।

अनुलानक-३ (छ)
वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनमूलि पर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत मू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अधिगम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/ थाना नं०	स्थल/ ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकवा हे० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	नारायणपुर	दक्षिणीबहाल-44	केन्द्रुआ	1033, 4, 288, 1606, 1022, 1071	35	
योग:-								
2	पिश्वमी सिंहभूम	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	नोवामुण्डी प्रक्षेत्र	हाटगाहरिया	कोलहान-413	तिरिलपी पी०एफ०	1, 1219	60
योग:-								
सकल योग:-								
							110	


अपर प्रधान संस्कृत विकास
समिक्षक संघरण
रांची।

वर्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयित की जानेवाली “अधिसूचित वनमूलि पर वृक्षारोपण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना / आना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकवा हे० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	नारायणपुर	दक्षिणबहल-42	सकलपुर	1, 69, 248, 347, 378, 405, 584	16	
				दक्षिणबहल-33	बाडुड़ीह	87, 89, 92, 93, 184	12	
			नाला	कारता-31	बागछेया	1439, 12, 350, 46	15	
				कारता-30	सरबेदिया	504, 1741, 1335, 1866	7	
					योग :-			50

अपर प्रधान मुख्यमंत्री वन संरक्षक विकास
कुमार अखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-26/2017/1383

दिनांक -

31-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103	71092	JMTFOR001	7,728,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAJ KUMAR SAH	रुपये सित्योत्तर लाख अठाइस हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. JAMTARA	आठ सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796580103	71093	SGHFOR010	5,634,900.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		KUMAR ASHUTOSH	रुपये छप्पन लाख चौतीस हजार नौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		(I.F.S.)	सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		DFO CHAIBASA	
	01 - वेतन एवं भत्ते		FOREST DIV.	
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796580323	71094	JMTFOR001	4,654,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAJ KUMAR SAH	रुपये छ्यालीस लाख चौपन हजार दो
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. JAMTARA	सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			

18,017,900.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये एक करोड़ अस्सी लाख स त्र ह हजार नौ सौ

ADDI.PB&P.DIVANAPURSHAND

Page 1 of 2

122,252,250.35

RANCHI


Run Date:

31/10/2017

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	71096	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	3,670,500.00 रुपये छत्तीस लाख सत्तर हजार पौच सौ



State Scheme: AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)
Central Scheme: NA



योग:

3,670,500.00

क्रमिक योग:

21,688,400.00

रुपये दो करोड़ सौलह लाख अठयासी हजार चार सौ

(SHRI SATNAM SINGH
ADDI.PWD&MANAFSHAND)